[2025:आरजे-जेपी:164]

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18148/2024

गोविंद दायमा, पुत्र. स्वर्गीय श्री द्वारका प्रसाद दायमा, उम्र लगभग 47 वर्ष, स्वत्वधारी, गोविंदम समारोह स्थल, पेट्रोल पंप के पास, वैशाली नगर, अजमेर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. अजमेर विकास प्राधिकरण, जरिये प्राधिकृत अधिकारी/उपायुक्त, अजमेर
2. संभागीय आयुक्त, अजमेर।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) की ओर से : सुश्री पल्लवी मेहता

उत्तरदाता (ओं) की ओर से : श्री जावेद खान

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

आदेश

02/01/2025

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 29.11.2024 को इस याचिका को एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 7480/2011 के साथ सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया था। तर्क यह है कि उक्त याचिका भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, जबकि वर्तमान याचिका मैरिज गार्डन पर कब्ज़ा करने के विरोध में दायर की गई है, इसलिए इस पर अलग से विचार किया जाना चाहिए।

2. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/24/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की सहमति से मामले को पृथक किया जाता है और एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18148/2024 पर सुनवाई की जाती है।

4. यह याचिका अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 30.10.2024 के आदेश और दिनांक 22.10.2024 के जब्ती आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

5. प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता अजमेर जिले के थोक तेलियान तहसील में स्थित एक कृषि भूमि पर एक मैरिज गार्डन चला रहा था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत दिनांक 04.12.2009 को अधिसूचना जारी करके विचाराधीन भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी। अधिग्रहण को चुनौती इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके दी गई थी। 17.11.2011 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था कि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन याचिकाकर्ता को न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना विचाराधीन संपत्ति से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया जाएगा। 01.10.2024 को, अजमेर विकास प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मैरिज गार्डन कृषि भूमि को व्यावसायिक उद्देश्य के लिए परिवर्तित किए बिना और सक्षम अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त किए बिना चलाया जा रहा था।

6. याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तर 22.10.2024 को दाखिल किया गया था, जबकि उत्तर की पावती रसीद 23.10.2024 की थी। जब्ती आदेश 22.10.2024 को पारित किया गया था। जब्ती आदेश के अनुसरण में प्राधिकारियों ने विवादित परिसर को जब्त करने की कार्यवाही की, हालाँकि, याचिकाकर्ता ने 23.10.2024 को मैरिज गार्डन में आयोजित समारोह के समापन के बाद 23.10.2024 को स्वेच्छा से मैरिज गार्डन को बंद करने का हलफनामा प्रस्तुत किया। कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए बंद करने का वचन दिया गया था। याचिकाकर्ता ने स्थगन याचिका के साथ अपील दायर की। अपीलीय प्राधिकारी ने 30.10.2024 को अपील में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और माना कि प्रतिवादियों को सुने बिना स्थगन देने का मामला नहीं बनता है। इसलिए, वर्तमान याचिका।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जब्ती आदेश को चुनौती देते हुए मामले में गुण-दोष के आधार पर बहस करने का प्रयास किया है। आगे तर्क दिया गया है कि अपील के लंबित रहने के दौरान अंतरिम संरक्षण न दिए जाने के कारण याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति हो रही है।

8. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने विवादित आदेश का बचाव करते हुए कहा कि स्थगन याचिका अभी भी लंबित है और अपीलीय प्राधिकारी ने केवल यहआदेश दिया है कि अन्य पक्ष को सुने बिना स्थगन देने का कोई मामला नहीं बनता है।

9. **इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह आग्रह किया कि प्रस्तुत तर्कों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाए।**

10. याचिकाकर्ता ने जब्ती आदेश को चुनौती देते हुए अपील का उपाय अपनाया है और उसे वर्तमान याचिका में जब्ती आदेश को चुनौती देकर एक साथ दो उपायों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

11. जहां तक 30.10.2024 के आदेश को चुनौती देने का सवाल है, आदेश में स्वतः स्पष्ट है कि अपीलीय प्राधिकारी ने नोटिस जारी किया था और स्थगन आवेदन पर दूसरे पक्ष को सुनने के बाद निर्णय लिया जाना है।

12. यह तर्क कि जब्ती के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक न लगाने के कारण याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति हो रही है, गुणदोष रहित है। जब्ती आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता कृषि भूमि को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए परिवर्तित कराए बिना ही मैरिज गार्डन चला रहा है, हालाँकि याचिकाकर्ता के अनुसार किसी रूपांतरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह मुद्दा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती का विषय होगा।

13. इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि ज़ब्ती का आदेश न केवल इस आधार पर पारित किया गया है कि ज़मीन को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए परिवर्तित नहीं किया गया था, बल्कि इस तथ्य पर भी कि मैरिज गार्डन चलाने के लिए सक्षम अधिकारियों से आवश्यक मंज़ूरी नहीं ली गई थी। यह

उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि रिट याचिका में भी, प्रथम दृष्टया यह स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेज़ संलग्न नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता के पास मैरिज गार्डन चलाने के लिए आवश्यक अनुमतियाँ हैं। यह तर्क कि मैरिज गार्डन के न चलने से याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति हो रही है, जनता की सुरक्षा और बिना आवश्यक अनुमति के मैरिज गार्डन में समारोह आयोजित करने के विरुद्ध है और ऐसी परिस्थितियों में अनुमति ही मान्य होगी।

14. रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप के लिए दिनांक 30.10.2024 के आदेश में कोई तथ्यात्मक या कानूनी त्रुटि नहीं है और याचिका खारिज की जाती है।

15. ऊपर की गई टिप्पणियां इस रिट याचिका के निपटारे के उद्देश्य से थीं और इसे विवाद के गुण-दोष पर इस न्यायालय की राय के रूप में नहीं समझा जाएगा।

(अवनीश झिंगन),जे

मोनिका/45

रिपोर्ट करने योग्य: हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/24/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

Tarun Mehra

Advocate